BROADBAND & IPTV NEWS
ब्रॉडबैंड व आईपीटीवी न्यूज

PRASAR BHARATI'S WAVES OTT GETS BIG HITS

Prasar Bharati's OTT platform WAVES has recorded over 80 lakh downloads in its first year, the government informed the Lok Sabha. Minister of State for Information and Broadcasting Dr. L. Murugan highlighted the platform's role in making Doordarshan and All India Radio archives, regional arts, classical music, literature-based programming, and multilingual content accessible globally.

WAVES OTT operates as a subscription-free public service platform, with advertising as its primary revenue source. It also provides a distribution framework for emerging filmmakers and creators, helping them reach diverse audiences worldwide. The platform is currently expanding its international footprint, developing revenue streams through strategic partnerships.

OTT CONTENT OUTSIDE CBFC, REGULATED BY IT RULES

The Centre clarified that content on OTT platforms remains outside the jurisdiction of the Central Board of Film Certification (CBFC) and is regulated under the IT (Intermediary Guidelines and Digital Media Ethics Code) Rules, 2021.

Under the rules, OTT platforms must follow a Code of Ethics, including age-based classification of content into five categories, and maintain mechanisms to address grievances. The regulatory framework establishes a three-tier system: self-regulation by publishers, oversight by self-regulatory bodies, and intervention by the Central Government if necessary.

बड़ी सफलता मिली प्रसार भारती के वेवस् ओटीटी को

सरकार ने लोक सभा को बताया कि प्रसार भारती के ओटीटी प्लेटफॉर्म वेवस् ने अपने पहले साल में 80 लाख से ज्यादा डाउनलोड दर्ज किये हैं। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉ. एल. मुरूगन ने दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो के आर्काइव, क्षेत्रीय कला, शास्त्रीय संगीत, साहित्य आधारित कार्यक्रम और बहुभाषी कंटेंट को विश्वस्तर पर सुलभ बनाने में प्लेटफार्म की भूमिका पर प्रकाश डाला।

वेवस् ओटीटी एक सब्सक्रिप्शन मुक्त सार्वजनिक सेवा प्लेटफॉर्म के तौर पर काम करता है, जिसमें विज्ञापन इसका मुख्य राजस्व स्रोत है। यह उभरते हुए फिल्म निर्माताओं और क्रिएटर्स के लिए एक वितरण फ्रेमवर्क भी देता है जिससे उन्हें दुनिभर में अलग-अलग दर्शकों तक पहुंचने में मदद मिलती है। यह प्लेटफॉर्म अभी अपने अंतरराष्ट्रीय विस्तार पर काम कर रहा है और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की सहायता से राजस्व के विकास पर ध्यान केंद्रित कर रहा है।

ओटीटी पर दिखाये जाने वाले कंटेंट सीबीएफसी के दायरे से बाहर, आईटी नियमों द्वारा रेगुलेटेड

केंद्र सरकार ने साफ किया है कि ओटीटी प्लेटफॉर्म पर दिखाये जाने वाले कार्यक्रम सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन (सीबीएफसी) के अधिकार क्षेत्र के बाहर है और आईटी (इंटरमीडियरी गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड) रूल्स 2021 के तहत रेगुलेट किया जाता है।

नियमों के तहत ओटीटी प्लेटफॉर्म को एक कोड ऑफ एथिक्स का पालन करना होगा, जिसमें कंटेंट को उम्र के हिसाब से पांच श्रेणियों में बांटना और शिकायतों को दूर करने के लिए सिस्टम बनाये रखना शामिल है। रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में तीन स्तरीय सिस्टम बनाया गया हैः प्रकाशक द्वारा स्व नियमन, सेल्फ रेगुलेटरी बॉडीज द्वारा निगरानी और जरूरत पड़ने पर केंद्र सरकार का दखल।

GOVERNMENT STRENGTHENS SAFEGUARDS FOR CHILDREN ONLINE

The IT Rules, 2021, and related provisions under the IT Act provide stringent measures to curb unlawful, obscene, or harmful content online. Platforms must implement parental controls and safeguards to protect minors from inappropriate material. ShareChat's QuickTV has introduced pin-based parental controls, age-specific content ratings, and structured access based on categories such as U, U/A 13+, U/A 16+, and A (Adult).

OTT'S SOUTH-FOCUSED GROWTH AND GLOBAL REACH

Industry experts note that South Indian content has become the growth engine for OTT platforms. Blockbusters like Pushpa, KGF, and Kantara, along with regional originals such as Suzhal: The Vortex, have created deep engagement and franchise loyalty. Platforms like Amazon Prime Video, Netflix, and JioHotstar are investing heavily in South-language originals, with JioHotstar earmarking Rs 4,000 crore for content and creator ecosystem development.

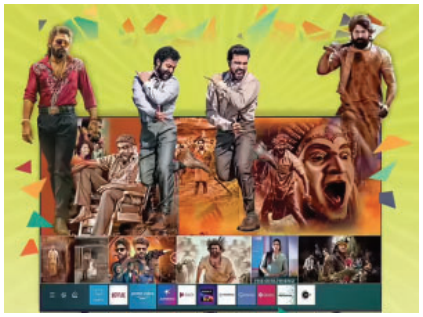

ACCESSIBILITY AND INCLUSIVE STREAMING

The Ministry of Information and Broadcasting has issued draft guidelines to make OTT content accessible for hearing- and visually-impaired users, proposing a two-phase implementation starting with public broadcasters like Prasar Bharati. The move aligns with the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016, and the UNCRPD.■

सरकार ने ऑनलाइन बच्चों के लिए सुरक्षा उपायों को मजबूत किया

आईटी रूल्स 2021, और आईटी एक्ट के तहत संबंधित नियम ऑनलाइन गैर-कानूनी, अश्लील या नुकसानदायक कंटेंट को रोकने के लिए कड़े कदम उठाते हैं। प्लेटफार्मों को नाबालिकों को गलत कंटेंट से बचाने के लिए पैरेंटल कंट्रोल और सुरक्षा उपाय लागू करने होंगे। शेयरचैट के क्विक टीवी टीवी पिन आधारित पेरेंटल कंट्रोल, उम्र के हिसाब से कंटेंट रेटिंग और यू, यू/ए 13+, यू/ए 16+, और ए (एडल्ट) जैसी श्रेणी के आधार पर स्ट्रक्चर्ड एक्सेस शुरू किया है।

ओटीटी की दक्षिण भारत केंद्रित विकास और वैश्विक पहुंच

उद्योग विशेषज्ञों का कहना है कि दक्षिण भारतीय कार्यक्रम ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के लिए विकास इंजन बन गये हैं। पुष्पा, केजीएफ और कंतारा जैसे सुपरहीट के साथ-साथ सुजलः द वोर्टेक्स जैसे क्षेत्रीय मौलिक कार्यक्रमों ने जबरदस्त एंगेजमेंट और फ्रैंचाइजी लॉयल्टी बनायी है। अमेजन प्राइम वीडियो, नेटफ्लिस्क और जियोहॉटस्टार जैसे प्लेटफॉर्म्स दक्षिणी भाषाओं के मूल कार्यक्रमों में भारी निवेश कर रहे हैं जिसमें जियोहॉटस्टार ने कंटेंट और क्रिएटर इकोसिस्टम विकास के लिए 4000 करोड़ रु रखे हैं।

एक्सेसिबिलिटी और सबको साथ लेकर चलने वाली स्ट्रीमिंग

सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने ओटीटी कार्यक्रमों को सुनने और देखने में दिक्कत वाले इस्तेमालकर्ताओं के लिए आसान बनाने के लिए ड्रॉफ्ट दिशा निर्देश जारी की हैं। इसमें प्रसार भारती जैसे सार्वजनिक प्रसारक से शुरू करके इसे दो फेज में लागू करने का प्रस्ताव है। सरकार का यह कदम दिव्यांग लोगों के अधिकार एक्ट, 2016 और यूएनसीआरपीडी के मुताबिक है।■